उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 3729–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013–20–मा0सं0–01/2005(टीसी–18) दिनांक :11 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

निगम के का0ज्ञा0सं0: 3256–मा0सं0–01/विउनिलि/2019 दिनांक 07.09.2019 द्वारा वर्तमान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता (वै0एंवयॉ0) की उनके पोषक संवर्ग (सहायक अभियन्ता) की ज्येष्ठता के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए 07 दिन में आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई थीं।

2– इस सम्बन्ध में घोषित अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध सर्वश्री बृजेश कुमार सिंह (200499), प्रवीण वर्मा (200486), मो0 अबू जर (2004119), पुष्प राज सिहं (2004115), वीरेन्द्र कुमार (2004102), धीरेन्द्र नागपाल (200418), प्रभात कटियार (200478), अजय सिंह कटियार (200437), संजय कुमार गुप्ता (200476), जितेन्द्र कुमार सरसैया (200488), सन्तोष कुमार गुप्ता (200479), दीपक कुमार (2004117), नीरज कुमार तिवारी (200415), रितेश कुमार सिंह (200466), शत्रुघ्न सिंह (200445), शैलेश चौरसिया (200451), दिलीप कुमार जैन (200483), राजेन्द्र प्रसाद यादव (200491), भरत यादव (200496), आलोक कुमार त्रिपाठी (2004101), शैलेन्द्र कुमार सिंह (200223), भोला नाथ सिंह (200241) तथा अजय कुमार पाण्डेय (200242), अधिशासी अभियन्ताओं के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका निस्तारण निम्नवत किया जा रहा है :–

(क) सर्वश्री बृजेश कुमार सिंह, प्रवीण वर्मा, मो0 अबू जर, पुष्प राज सिहं, वीरेन्द्र कुमार, धीरेन्द्र नागपाल, प्रभात कटियार, अजय सिंह कटियार, संजय कुमार गुप्ता, जितेन्द्र कुमार सरसैया, सन्तोष कुमार गुप्ता, दीपक कुमार, नीरज कुमार तिवारी, रितेश कुमार सिंह, शत्रुघ्न सिंह, शैलेश चौरसिया, दिलीप कुमार जैन, राजेन्द्र प्रसाद यादव, भरत यादव तथा आलोक कुमार त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ताओं से प्राप्त प्रत्यावेदन व उनके द्वारा किए गये अभिकथन

(i) प्रत्यावेदनकर्ताओं की नियुक्ति निगमादेश संख्या 625–मा0सं0–01/विउनिलि/2003 दिनांक 28.04.2003 द्वारा सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वै0एवंयॉ0) के पद पर हुई थी तथा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने संविलीनीकरण परीक्षा ससमय दिनांक 16.06.2004 को उत्तीर्ण कर ली थी, जिसका परीक्षाफल निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा ने अपने पत्र दिनांक 16.06.2004 द्वारा मुख्यालय को प्रेषित कर दिया था। लेकिन मुख्यालय द्वारा विलम्ब से निर्गत किये गये कार्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/विउनिलि/2004 दिनांक 06.07.2004 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थाई सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त करने से उनका चयन वर्ष 2004–05 माना जा रहा है।

(ii) प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निगम के आदेश संख्या–2666–मा0सं0–01/विउनिलि/2005 दिनांक 26.11.2005 द्वारा सहायक अभियन्ता (वै0एवंयॉ0) एवं जानपद संवर्ग के अभियंताओं की अंतिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी थी, जिसके अनुसार उनका सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति वर्ष 2003–04 अंकित था। जबकि तदोपरांत निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2228–मा0सं0–01/विउनिलि/2012 दिनांक 08.06.2012 द्वारा घोषित अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में सहायक अभियंता (वै0 एवं यॉ0) के पद पर नियुक्ति वर्ष को 2004–05 दर्शाया गया एवं वर्ष 2005 में अवर अभियंता पद से सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नत हुए अभियन्ताओं को 1:1 के अनुपातिक चक्रानुक्रम में वरिष्ठता सूची में गलत तरीके से समायोजित करने से इनकी वरिष्ठता का भारी ह्रास हो रहा है। इस निमित्त संघ द्वारा नियुक्ति आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से करने के स्थान पर जून, 2004 से प्रभावी करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन निरन्तर प्रेषित किये गये, लेकिन निगम ने कोई न्याय संगत कार्यवाही नहीं की।

(iii) प्रत्यावेदनकर्ताओं ने यह भी अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (प्र0) (वै0एवंयॉ0) के पद पर चयन हेतु निगम द्वारा यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी में

क्रमश : 2/–

स्नातक अभ्यार्थियों हेतु परीक्षा आयोजित की गयी थी, जिसमें अर्जित अंको के आधार पर चयन किया गया, परन्तु कुल पूछे गए प्रश्नों में से सम्बंधित अभियांत्रिकी के तकनीकी प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण दो अलग विषयों के अभियर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करना अनुचित है। वर्ष–2003 में सीधी भर्ती से चयनित सहायक अभियंताओं हेतु निर्धारित पारस्परिक ज्येष्ठता मात्र प्राप्तांकों के आधार पर निर्णित करने के कारण विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी से चयनित अभियंता लगभग यांत्रिक अभियांत्रिकी से चयनित समस्त अभियंताओं से कनिष्ठ है, जबकि दो अलग विषयों से चयनित अभियर्थियों की वरिष्ठता स्केलिंग के आधार पर किया जाना अधिक तर्कसंगत एवं न्यायसंगत है।

उपरोक्त अभिकथनों/आपत्तियों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि निगम में सहायक अभियन्ता (ई0एण्डएम0) की ज्येष्ठता उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 तथा सपठित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1998 से विनियमित होती है। उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है। अतः इस बात का बिना लिहाज किये कि अमुक व्यक्ति कब सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) नियुक्त हुआ, कब प्रशिक्षणोंपरान्त संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण की, सहायक अभियन्ता पद पर उसकी ज्येष्ठता का निर्धारण उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में उसकी मेरिट के अनुसार किया जाना होता है। चूंकि प्रत्यावेदनकर्ताओं की सेवायें उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में यथा प्रयोज्य उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 तथा समय–समय पर निर्गत प्रशासकीय आदेशों से आवरित होती हैं जिसमें कहीं भी यह प्राविधान नहीं है कि सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को प्रशिक्षणोंपरान्त अन्तिम संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को/से अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त कर दिया जायेगा। अन्तिम संविलयन परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर उक्त परीक्षा परिणाम के आधार पर सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त करने, तैनाती स्थल आदि निर्णीत कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने तथा तदोपरान्त नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नियुक्ति आदेश निगम के का0ज्ञा0सं0 3131–मा0सं0–01/विउनिलि/2004 दिनांक 06.07.2004 द्वारा जारी किये गये। निष्कर्षतः प्रत्यावेदनकर्ताओं को अन्तिम संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से न तो सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त माना जा सकता है, और न ही इस कल्पित तिथि के आधार पर उन्हें वरिष्ठता दी जा सकती हैं यह एक तथ्य है कि प्रत्यावेदनकर्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर मौलिक नियुक्ति कर्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/ विउनिलि/2004 दिनांक 06.07.2004 द्वारा हुई थी। अतः वह चयन वर्ष 2004–2005 में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी वरिष्ठता भी तदनुसार निर्धारित की गई है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं0 2666–मा0सं0–01/विउनिलि/2005–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 26.11.2005 के संलग्नक–2 द्वारा घोषित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में यह स्पष्टतया अंकित नहीं है कि प्रत्यावेदनकर्ता चयन वर्ष 2003–2004 में (अर्थात दिनांक 01.07.2003 से 30.06.2004 के मध्य) नियुक्त हुए। चूंकि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 के संगत प्राविधानों के अनुसार सेवा संवर्ग में नियुक्ति सहायक अभियन्ता के पद पर की जाती है जिसके दृष्टिगत उक्त आपत्तिकर्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/विउनिलि/2004 दिनांक 06.07.2004 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की गई थीं। इस प्रकार उनकी नियुक्ति का आदेश चयन वर्ष 2004–2005 (दिनांक 01.07.2004 से 30.06.2005 के मध्य) होने के कारण उन्हें चयन वर्ष 2004–2005 में नियुक्त माने जाने में कोई त्रुटि नहीं है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवकों की ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के विनियम 8–(3) के अनुसार जहॉ किसी एक चयन वर्ष में नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायॅ, वहॉ पदोन्नत व्यक्तियों की सीधे भर्ती से नियुक्त किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता जहॉ तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी। तद्नुसार दिनांक 01.07.2004 से दिनांक 30.06.2005 की अवधि में सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के नाम प्रत्यावेदनकर्ताओं के नाम के साथ चक्रानुक्रम में रखना नियमानुसार है।

क्रमश : 3/–

उक्त के अतिरिक्त यह स्पष्ट करना है कि वर्ष 2003 में नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ता (प्र0) की ततसमय घोषित अन्तिम ज्येष्ठता सूची विद्युत सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मेरिट सूची के आधार पर की गई थी, तत्समय प्रचलित वरिष्ठता नियमावली में विभिन्न संवर्गो को स्केलिंग आदि कर वरिष्ठता निर्धारित करने के कोई प्राविधान नहीं थे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदनकर्ताओं की पूर्व में निर्गत वरिष्ठता सूची के अनुसार अधिशासी अभियन्ता (वै0एवंयॉ0) के पद पर प्रोन्नतियॉ की गयी थी, जिस पर उन्होने तत्समय कोई विरोध नही किया। चूँकि प्रत्यावेदनकर्ताओं के नामों को उनके पोषक संवर्ग की पूर्व घोषित अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही वर्तमान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता (वै0एंवयॉ0) की का0ज्ञा0सं0: 3256–मा0सं0–01/विउनिलि/2019 दिनांक 07.09.2019 द्वारा घोषित अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में रखा गया है जिसके दृष्टिगत उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के आलोक में प्रत्यावेदनकर्ताओं के प्रत्यावेदन तदनुसार अस्वीकार किये जाते हैं।

(ख) श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त प्रत्यावेदन

प्रत्यावेदनकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि घोषित अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में क्र0सं0: 04 एवं 09 पर क्रमशः अंकित श्री सुभाष चन्द्र एवं श्री अवधेश कुमार सागर की प्रोन्नति एस0सी0/एस0टी0 कोटे के तहत अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर हुई थी। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त होने के उपरान्त एस0सी0/एस0टी0 कोटे के तहत हुई प्रोन्नति को रद्द करते हुए लोगों की वरिष्ठता बाद के चयन वर्षो में निर्धारित की गयी है परन्तु श्री सुभाष चन्द्र एवं श्री अवधेश कुमार सागर का सहायक अभियन्ता से अवर अभियन्ता पद पर डिमोशन न किये जाने के कारण इनकी वरिष्ठता सूची प्रमोशन में आरक्षण समाप्त होने से पहले की वरिष्ठता सूची के अनुसार बनी हुई है। अतः इन दोनो अभियन्ताओं की वरिष्ठता तदनुसार निर्धारित की जाय।

उपरोक्त अभिकथन/आपत्ति के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि श्री सुभाष चन्द्र एवं श्री अवधेश कुमार सागर की नियुक्ति अवर अभियन्ता पद पर हुई थी, दोनो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थे। उन्होने अवर अभियन्ता पद पर रहते हुए बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की डिग्री प्राप्त कर ली तथा उन्हें उसी का लाभ प्रदान करते हुए 8.33% कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 डिग्री प्राप्त कर प्रोन्नति पाने के कारण उनकी पदावनति नही की गयी। इस प्रकार उन्हें पूर्व में घोषित वरिष्ठतानुसार का0ज्ञा0सं0: 3256–मा0सं0–01/विउनिलि/2019 दिनांक 07.09.2019 द्वारा घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में यथास्थान रखा गया है, अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रत्यावेदनकर्ता का प्रत्यावेदन तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

(ग) सर्वश्री भोला नाथ सिंह तथा अजय कुमार पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ताओं से प्राप्त प्रत्यावेदन

प्रत्यावेदनकर्ताओं ने अपने प्रत्यावेदनों में यह अभिकथन किये है कि निगम द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञा0सं0 2666–मा0सं0–01/विउनिलि/2005 दिनांक 26.11.2005 द्वारा घोषित सहायक अभियन्ता (वि0एवंयॉ0) की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में उनके नाम क्रमशः क्र0सं0 42 तथा 45 पर अवस्थित हैं। इसी वरिष्ठता सूची में उनसे वरिष्ठ एवं उसी वर्ष में प्रोन्नत अनु0जाति के सहायक अभियन्ताओं सर्वश्री भगवान दीन सोनकर (200237) क्र0सं0 30 पर तथा शिव नरायण लाल (200238) क्र0स0 39 पर अवस्थित थे। उपरोक्त के क्रम में इन दोनों प्रत्यावेदनकर्ताओं ने वर्तमान में लागू प्रोन्नति नियम के अनुसार उक्त दोनों अनु0 जाति के अभियन्ताओं की प्रोन्नति निरस्त होने के फलस्वरूप पुनः वरिष्ठता निर्धारण नहीं किये जाने से सूचित करते हुए अवगत कराया है कि यदि प्रत्यावेदनकर्ताओं की प्रोन्नति के समय उपरोक्त अनु0जाति के अभियन्ताओं की प्रोन्नति नहीं की जाती तो उस स्थिति में प्रत्यावेदनकर्ताओं की वरिष्ठता का निर्धारण क्रमशः श्री अरविन्द कुमार मिश्रा (200208) तथा श्री सुरेन्द्र प्रताप यादव (200210) के ठीक बाद होता।

उपरोक्त अभिकथन/आपत्ति के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0 3256–मा0सं0–01/विउनिलि/2019 दिनांक 07.09.2019 द्वारा घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में ऐसे किसी भी अधिशासी अभियन्ता का नाम प्रत्यावेदनकर्ताओं के नामों के ऊपर नहीं रखा गया है जो कि अवर अभियन्ता पद पर घोषित इनकी वरिष्ठता सूची में इनसे कनिष्ठ रहा हो और आरक्षण का लाभ प्राप्त कर प्रत्यावेदनकर्ताओं से पूर्व सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हो गया हो।

क्रमश : 4–

सूचनीय है कि शासनादेश सं0: 8/4/1/2002टी0सी0–1–का–2/2015, दिनांक 21–08–2015 के अनुसार दिनांक 15–11–1997 के पश्चात और दिनांक 27.04.2012 के मध्य "उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994" की धारा–3(7) के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों को उनके कनिष्ठ के स्तर तक पदावनत किये जाने हेतु प्राविधानित है, जिसके परिप्रेक्ष्य में संगत अवधि में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत किये गये कार्मिकों को पदावनत कर उन्हें पोषक संवर्ग में निर्धारित वरिष्ठतानुसार यथास्थान रखा गया है। उपरोक्त शासनादेश में यह प्राविधानित नहीं है कि पदावनति के पश्चात अनारक्षित वर्ग के कार्मिक को रिक्त होने वाले पद पर समायोजित कर वरिष्ठता निर्धारण का लाभ अथवा प्रोन्नति प्रदान कर दी जाय।

अतः उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के आलोक में प्रत्यावेदनकर्ताओं के प्रत्यावेदन तदनुसार अस्वीकार किये जाते हैं।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3729(।)–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2019 तद्दिनांक।

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(तकनीकी)/(वित्त)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
3– मुख्य अभियन्ता (स्तर–।)/(स्तर–।।) ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)।
4– मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/आर0 एण्ड एम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड का कष्ट करें।
6– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8– अधिशासी अभियन्ता (डाटाबेस/रिफार्म), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9– वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

11/10/2019

(अवीक्षित सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01)